

राजस्थान सरकार  
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: [ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in](mailto:ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in), [ccf.ajmr.forest@gmail.com](mailto:ccf.ajmr.forest@gmail.com) Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11( 56एन) एफसीए/मुवस/2020 /4330  
निमित्त,

दिनांक:- 18/08/21

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.1887 ha forest land for construction of approach road for a proposed retail outlet of IOCL along the NH-89 (Nagaur -Merta City ROAD)LHS, Part of khasra no. 209/108, at village Shubhdand, Tehsil Merta City, District. Nagaur, (Raj.) (FP/RJ/ROAD/35700/2018)


संदर्भ:- आपके कार्यालय का ऑनलाईन ईडीएस दिनांक 09.07.2021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित ऑन लाईन ईडीएस के क्रम में निवेदन है कि उप वन संरक्षक नागौर ने आपके द्वारा लगाये गये आक्षेप "CA scheme is not justified. For planting of 100 plants , scheme of Rs. 90000 is being taken. More than 4 times scheme is not justified. Please get it done rational" की पूर्ती ऑन लाईन कर प्रकरण इस कार्यालय को भिजवाया है, जो दो प्रति में संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 2 सेट।

भवदीय,

  
(महेश चन्द गुप्ता)  
मुख्य वन संरक्षक  
अजमेर।